

DRP

24.9.2021
8/10/21

राजस्थान - सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात			नं० रजि० मुहा०
				क	ख	योग	
कास 22	8/2021	15 ⁹ / ₂₀₂₁	22 ¹⁰ / ₂₀₂₁				

सरकार	ब	भागीरथ पुत्र लालचन्द
	ना	जगति नई वगी साकिन
	म	खरसण्डी

(श्री

वकील)

(श्री

वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद



अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोडर स्टेट बनान भागीरथ पुत्र लालचन्द जाति नाई वगै० साकिन खरसण्डी वगै० किस्म मुकदमा धारा 22 उप० अधि० 1954 सं० नं० ०६...सं० 2021

फर्द अहकाम

(नियम 15)

तारीख	हुकम या कायवाही मय इनीशियल्स जज
हुकम	नखर व तारीख अहकाम जो हुस हुकम की तामील में जारी हुए

15/9/2021

पटवारी हुका ललानिया धारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थी स० 1 भागीरथ पुत्र लालचन्द जाति नाई साकिन खरसण्डी धारा 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में वार अपार्थी स० 2 पुंनराम पुत्र पुंनराम जाति जाट धारा स० 10 रस्ता की मूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में वार अपार्थी स० 3 सुन्दलाल पुत्र बेलराम जाति बाहाण साकिन खरसण्डी धारा स० 10 वारागाह की मूमि खसरा नं. 64 की कुल 4.286 है० में से 0.063 है० में वार संवत् 2078 खरीफ फसल काबल कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पचावली पेशी में ली गयी।
प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं निरदावर हुका जबरन को खडी फसल कर्क करने हेतु लिखा जाकर पचावली दिनांक 25/9/2021 को पेश हो।

24/9/21

पचावली पेशी में ली गयी। मजिस्ट्रेट की आज्ञा पर पेशी में ली गयी।
नोटिस जारी किया जावे एवं निरदावर हुका जबरन को खडी फसल कर्क करने हेतु लिखा जाकर पचावली दिनांक 24/9/21 को पेश हो।

17/10/21

नोटिस जारी किया जावे एवं निरदावर हुका जबरन को खडी फसल कर्क करने हेतु लिखा जाकर पचावली दिनांक 17/10/21 को पेश हो।

राज.संस्कार

बनाम

भागीरथ पुत्र लालचन्द जालि नाई वगैरे साकिन खरसण्डी वगैरे

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 22.10.2021

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 भागीरथ पुत्र लालचन्द जालि नाई साकिन खरसण्डी धारा 124 की कूल 6.942 है0 में से 0.063 है0 में वगैरे अप्रार्थी सं० 2 पूर्णराम पुत्र प्रेमराम जालि जाट धारा सं०0 रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कूल 6.942 है0 में से 0.063 है0 में वगैरे अप्रार्थी सं० 3 सुन्दरलाल पुत्र बेलराम जालि बाह्य साकिन खरसण्डी धारा सं०0 धारणाह की भूमि खसरा नं. 64 की कूल 4.286 है0 में से 0.063 है0 में वगैरे की नाजायज काबल कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों की अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेदन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाज लगावाते फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कर्तव्यही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया धारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्ताव भूमि पर नाजायज काबल करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण धारा प्रस्ताव भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। सं०0 लालचन्द वगैरे को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रु. 20 / - से दण्डित किया जाता है।

भू अधिलेख निरीक्षक हल्का जबरसर धारा कर्क बूदा फसल को निगम कर निगामी फर्दा वार स्वीकृति पेश करने हेतु लिखा जावे एवं अमल से आदेश जारी हो कि अतिक्रमियों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वर्सुली हेतु अमल से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को संदे द्वारा लिखाया जाकर संदे इंजलास संनाया गया।

जिला हनुमानगढ
तहसीलदार (राजस्व) नोहर
21

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 08/सम्बत् 2078 सरकार बनाम सुन्दरलाल पुत्र पितराम जाति शिखण का खरसोती

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरसोती के ख-न-64 पारागण्ड की भूमि पट 0.063 हेक्टर
उवार की फसल काटने की है

संवत् 2078 खरीफ फसल काश्त कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/5 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्बत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नहीं अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृषि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नहीं आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/5/21 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

37
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)
तहसीलदार (राजस्व)
9/ नोहर

फर्द निलामी

मि. नं. ०४/२१

आज दिनांक २१/१०/२०२१ को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/२१/१४० दिनांक ४/१०/२०२१ की पालना में ग्राम खरसोडी के खसरा नं. ६५, १२५ की श्रे. ३-चारणाट, रास्ता भूमि में फसल गवार ^{क.स.} नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों ०.१४९ हे. १) प्राणेश पुत्र लालचन्द जाति ब्राह्मण सा. खरसोडी, २) पूर्णराम पुत्र जेमाशम जाति जाट सा. खरसोडी ३) सुन्दरलाल पुत्र चैतराम जाति ब्राह्मण सा. खरसोडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु सार्वजनिक सुचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रुबरु निलामी बुलाई गई वर्तमान में फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित व्यक्तियों नें उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क. स.	बोलीदाता	बोली की राशी
		I II
1.	श्री निमाराण पुत्र श्री प्रसवन्त जाति जाट साकिन खरसोडी	200
2.	श्री शेराराम पुत्र श्री माहुराम जाति जाट साकिन खरसोडी	300
3.	श्री प्रयकरण पुत्र श्री हजारीराम जाति जाट साकिन खरसोडी	310
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मनमूल जाति भेघवाल साकिन खरसोडी	340


उपरोक्त में श्री राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री मनमूल जाति भेघवाल साकिन खरसोडी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

म. नं. ०४/२१
श्री. श्री. मि. जयरासर
२१-१०-२०२१

स्वीकृत


३०/१०/२१

राजेन्द्र प्रसाद



श्री. नि. निमाराण

जयरासर



श्री. श्री. शेराराम

३०म/ २१/१०/२०२१
राजस्व पटवारी
प. म. ललामिया

कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमागनढ


क्रमांक/राजस्व/2021/1151

दिनांक: 22.10.2021

आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 08/2021 में निर्णय दिनांक 22.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 भागीरथ पुत्र लालचन्द जाति नाई साकिन खरसण्डी द्वारा 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 2 पूर्णराम पुत्र प्रेमराम जाति जाट द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार अप्रार्थी सं० 3 सुन्दरलाल पुत्र चेताराम जाति ब्राह्मण साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० चारागाह की भूमि खसरा नं. 64 की कुल 4.286 है० में से 0.063 है० में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरार को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि...2०... रूपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।



तहसीलदार (राजस्व)
नोहर

क्रमांक/राजस्व/2021/1152-54


दिनांक:- 22.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरार को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें एवं कुर्क शुदा फसल को निलाम कर निलामी फर्द वाद स्वीकृति पेश करे।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।


तहसीलदार (राजस्व)
नोहर




राजस्व लेखाकार की वर
दिनांक 22.10.2021

